R.M.M. Law College Saharsa
Mareshji Anand
LL.B Part IInd
Paper - I st
Muslim Law

अवयस्क के शरीर की संरक्षकता

किसी अवयस्क मुस्लिम के शरीर का नैसर्गिक संरक्षक पिता और अकेले पिता ही होता है। यदि पिता की मृत्यु हो जाय तो सुन्नी विधि के अनुसार उसका निष्पादक ही विधिक संरक्षक होता है। अन्य कोई वैध संरक्षक तभी होता है जब वह न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाये। पिता द्वारा पुनर्विवाह कर लेने मात्र से ही वह अपने बच्चों की संरक्षकता से वंचित नहीं किया जा सकता है।

हिजानत का अधिकार :-

"हिजानत" का अर्थ है बच्चों का लालन-पालन और अभिरक्षा। मुस्लिम विधि में सुन्नी शाखानुसार जब तक लड़का सात वर्ष की आयु नहीं प्राप्त कर लेता और लड़की यौवनागम नहीं प्राप्त कर लेती, इनकी अभिरक्षा का अधिकार माता को होता है किंतु शियाशाखा में शिया विधि के अनुसार लड़के का दो वर्ष की आयु तक माता की अभिरक्षा का अधिकार होता है और लड़की के मामले में जब तक कि वह सात वर्ष की न हो जाय। दोनों शाखाओं में अपने अवयस्क

शिशु के हिजानत का अधिकार माता को रहता है चाहे उसे भी उसके पति द्वारा तलाक दे दिया हो। ऐसा लिखित है कि एक बार एक मुस्लिम स्त्री पैगम्बर मोहम्मद के पास गई और विनम्रता से कहा,- "हे पैगम्बर! मेरे गर्भ से उत्पन्न यह मेरा पुत्र है, इसे मैं अपना दूध पिलाकर पाला है, किन्तु इसका पिता मुझसे छीनकर अपने पास अपनी अभिरक्षा में रखना चाहता है।"

पैगम्बर ने उत्तर दिया - जब तक तुम अपना विवाह किसी अजनबी से न करो तब तक बच्चे के मामले में तुम्हें अपने पति से अधिक और पहले अधिकार है।"

माँ स्वाभावत: न केवल अधिक दयालु और कोमल होती है वरन वह किसी शिशु के शैशव काल में लालन-पालन के लिए अधिक उपयुक्त और सक्षम होती है। अतएव बच्चे की अभिरक्षा माँ के पास होना बच्चे के लाभार्थ है।

माता की अनुपस्थिति या उसके द्वारा अस्वीकार कर दिये जाने पर हिजानत का अधिकार शिया विधि में पिता को होता है। और तत्पश्चात मातृपक्ष के नातेदारों को। सुन्नी विधि की सभी उपशाखाओं में माता के पश्चात हिजानत का अधिकार पिता को न होकर मातृ पक्ष के स्त्री नातेदारों को होता है और स्त्री नातेदारों के न होने पर मातृ पक्ष के पुरुष नातेदारों को। किन्तु कोई भी पुरुष जब तक कि वह प्रतिषिद्ध नातेदारों की कोटि में नहीं आता है उसे लड़की

Scanned with CamScanner

की अभिरक्षा का अधिकार नहीं है। उदाहरण के लिए ममेरा भाई चूँकि प्रतिसिद्ध नातेदारों में नहीं आता है अतएव उसे लड़की की अभिरक्षा का अधिकार नहीं है। यद्यपि माता को अपने अल्पायु बच्चों के अभिरक्षा का अधिकार प्राप्त है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि पिता को कोई अधिकार नहीं है। इमाम बन्दी बनाम मुसद्दी के वाद में प्रिवी कौंसिल ने माता के अभिरक्षा के अधिकार की प्रकृति और सीमा के विषय में यह कहा कि —

यह बिल्कुल स्पष्ट है कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत माता अपने अवयस्क बच्चे के केवल शरीर की अभिरक्षा की बच्चे के लिंग के अनुसार एक आयु तक हकदार होती है, किन्तु नैसर्गिक संरक्षक नहीं होती। सिर्फ पिता ही यदि वह मर गया है तो उसका निष्पादक सुन्नी विधि के अंतर्गत विधिक संरक्षक होता